भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4375

20.03.2020 को उत्तर के लिए

रेत का अवैध खनन

4375. श्री सन्नी देओलः
श्री बैन्नी बेहननः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश की नदी तलहटी में बड़े स्तर पर रेत के अवैध खनन के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पंजाब और केरल सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पंजाब के गुरदासपुर और पठानकोट जिलों में रेत के अवैध खनन के पर्यावरण और भूजल स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नदियों में अत्यधिक रेत खनन के दीर्घकालीन प्रभाव क्या हैं;

(घ) क्या सरकार की पर्यावरण और भूजल स्तर क्षति की पूर्ति हेतु कोई योजना/रूपरेखा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की रेत के हो रहे अवैध खनन को रोकने और इसके जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में नदियों के रेत खनन को विनियमित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (च) लघु खनिजों का खनन राज्य सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23 ग राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम और तत्संबंधी प्रयोजनों हेतु नियम बनाने का अधिकार संपन्न बनाती है। इसके अतिरिक्त एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15, राज्य सरकारों को रेत सहित लघु खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतें प्रदान करने को विनियमित करने के लिए नियम हेतु अधिकार संपन्न बनाती है।

पंजाब की राज्य सरकार ने सूचित किया कि दिनांक 01.01.2019 से 463 एफआईआर दर्ज की गई है और 577 वाहनों को जब्त किया गया है। आज की तारीख तक गुरूदासपुर और पठानकोट जिलों में भूजल स्तर के ह्रास होने के संबंध में कोई प्रभाव नहीं देखा गया है। पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों द्वारा खनन योजनाएं / पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाती हैं और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। खानों की अनुमति केवल ईआईए अधिसूचना के अनुसार पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना और पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) से सहमति प्राप्त होने पर प्रदान की जाती है।

केरल राज्य सरकार ने नदी में रेत के अवैध होने खनन की कुछ घटनाओं की सूचना दी है। वैध रेत खनन केवल यह सुनिश्चित करने के पश्चात अनुमत किया जाता है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और खनन योजना अनुमोदित है। केरल राज्य ने नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए वहनीय नदी रेत खनन हेतु ''केरल में नदी तटों की सुरक्षा और रेत हटाने के कार्य का विनियमन अधिनियम 2001'' तैयार किया है। केरल राज्य के विद्यमान नियमों के अनुसार, राजस्व विभागों को नदियों से अवैध रेत खनन कार्यकलापों के विरूद्ध कार्रवाई करनी है।

असम राज्य की सरकार ने सूचित किया है कि राज्य को भुगतान की गई रॉयल्टी से 10 प्रतिशत के बराबर की धनराशि, जीर्णोद्धार और पुनरूद्धार कार्यों हेतु खनिज रियायत धारक से वसूली की जाती है। राज्य में अवैध रेत खनन में किसी भी अधिकारी की संलिप्तता की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। असम लघु खनिज रियायत नियम, 2013 का नियम 39 नदी तलों से लघु खनिजों के उत्खनन हेतु प्रदान किए गए खनिज रियायत हेतु विशिष्ट शर्तें निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त राज्य में सभी खनन कार्यकलापों को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात अनुमत किया जाता है।

मंत्रालय ने खनिजों के खनन के कारण पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ समय-समय पर यथासंशोधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य करना; वनस्पतियों, जीवों, वायु, जल, भूमि, पर्यावरणीय स्वास्थ्य आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समुचित विचार के साथ पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करते समय सख्त शर्तें रखना; स्थायी रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 जारी करना; और रेत खनन 2020 के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश जारी करना जिसमें गैर-कानूनी खनन को रोकने के लिए आईटी प्रौद्योगिकी का उपयोग और यूएवी/ड्रोन आदि के माध्यम से रात में निगरानी का प्रस्ताव किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 14.03.2017 के का.आ. 804 (अ) के अनुसरण में ईआईए अधिसूचना, 2006 के उल्लंघन के मामले में उल्लंघन होने के कारण आकलन की गई पारिस्थितिकी क्षति और प्राप्त आर्थिक लाभों के समनुरूप क्षति आकलन और उपचार योजना और प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना भी बनाई जानी अपेक्षित है।

****